JHJM030013102016

अनुसूची–I

जिला–जामताड़ा। न्यायालयः–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जामताड़ा। उपस्थित–मो0 नईम अंसारी, अपर मुख्य न्या0 दण्डा0, जामताड़ा। निर्णय की तिथिः–31वीं जुलाई, सन् 2026 ई0 सामान्य पंजीयन वाद सं0–851/2016 (नारायणपुर थाना काण्ड सं0–152/2016) आरोप अन्तर्गत धारा–279,338 एवं 427 भा0द0स0	
सूचक	झारखण्ड राज्य द्वारा महादेव राय, पिता–स्व0 लाटू राय, लिंग–पुरूष, साकिन–करमोई, थाना–नारायणपुर, जिला–जामताड़ा वर्तमान – नारायणपुर चौकीदार
सूचक की ओर से	श्री प्रीतम कुमार बंटी, विद्वान सहायक लोक अभियोजक
फरार अभियुक्तगण	1. हरेन्द्र कुमार वर्मा, पिता–स्व0 चन्द्र शेखर प्रसाद वर्मा, लिंग–पुरूष, साकिन–सान्हा, थाना–हिल्सा, जिला–नालंदा, (बिहार) वर्तमान पता–ग्राम–वही, थाना–वही, जिला–वही 2. महेश महतो, उम लगभग 38 वर्ष, पिता–बेहान महतो, लिंग–पुरूष, साकिन–रोला, थाना गोला, जिला–रामगंढ़ वर्तमान पता–ग्राम–वही, थाना–वही, जिला–वही
फरार अभियुक्तगण की ओर से	श्री उत्तम कुमार, एल0ए0डी0सी0

अनुसूची–II

घटना की तिथि	29.09.2016
प्राथमिकी की तिथि	29.09.2016
आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि	17.03.2019
आरोप/सारांश गठन की तिथि	05.06.2026
धारा–299 (1ए) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	16.06.2026
निर्णय की तारीख सुरक्षित	30.07.2026
निर्णय की तारीख	31.07.2026
सजा आदेश की तारीख	नहीं

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त गण का क्रम सं0	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर बाहर आने की तिथि	आरोपित अपराध	रिहा/ दोषसिद्ध	दण्डित सजा	धारा–428, सी0आर0पी0सी0 के उद्देश्य से परीक्षण के दौरान हिरासत में बिताई गई अवधि
1.	हरेन्द्र कुमार वर्मा	फरार	फरार	अन्तर्गत धारा– 279,338 एवं 427 भा0द0स0	रिहा	नहीं	नहीं
2.	महेश महतो	फरार	फरार	वही	वही	वही	वही

अनुसूची–III

अभियोजन साक्ष्य की सूची

ए0. अभियोजन की ओर सेः–

श्रेणी	नाम	गवाह का स्वरूप (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी,चिकित्सक साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य साक्षी)
अभि0 साक्षी सं0–1	महादेव राय	सूचक
अभि0 साक्षी सं0–2	अमृत सिंह	अनुसंधानकर्त्ता

बी0 विपक्षी की ओर से कोई अन्य गवाहः

श्रेणी	नाम	गवाह का स्वरूप (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी,चिकित्सक साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य साक्षी)
नहीं	नहीं	नहीं

सी0 न्यायालय की ओर से कोई गवाहः

श्रेणी	नाम	गवाह का स्वरूप (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी,चिकित्सक साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य साक्षी)
नहीं	नहीं	नहीं

अभियोजन/विपक्षी/न्यायालय की ओर से प्रदर्श

ए. अभियोजन की ओर से–

श्रेणी	प्रदर्श नम्बर	विवरण

1.	प्रदर्श–P-1/PW1	फर्द बयान
2.	प्रदर्श–P-1/1/PW2	काण्ड का पृष्ठांकन
3.	प्रदर्श–P-2/PW2	औपचारिक प्राथमिकी पर हरिश पाठक का हस्ताक्षर
4.	प्रदर्श–P-3/PW2	जप्ती सूची
5.	प्रदर्श–P-4/PW2	यांत्रिक जांच रिपोर्ट

बी. विपक्षी की ओर से–

श्रेणी	प्रदर्श नम्बर	विवरण
नहीं	नहीं	नहीं

सी. न्यायालय की ओर से–

श्रेणी	प्रदर्श नम्बर	विवरण
नहीं	नहीं	नहीं

डी. अन्य सामग्री/चीजें

श्रेणी	सामग्री चीजें नम्बर	विवरण
नहीं	नहीं	नहीं

निर्णय

1. फरार नामित अभियुक्तगणः– 1. हरेन्द्र कुमार वर्मा एवं 2. महेश महतो को भा0द0स0 की धारा– 279,338 एवं 427 के तहत् आरोप से आरोपित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा तेजी एवं लापरवाही से गाड़ी चलाने को लेकर विचारण का सामना कर रहे हैं।

2. अभियोजन का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि–सूचक ने अपने फर्द बयान में कहा हैं कि– दिनांक–29.09.2016 को सुबह 5:00 बजे सूचना संग्रह के लिए जा रहे थे कि लोहरंगी गांव के पास करीब 6:30 बजे मुख्य सड़क पहुंचे तो देखा कि जामताड़ा की ओर से आ रही टाटा 407 गाड़ी नं0–जेएच10ए जी 3501 एवं नारायणपुर की तरफ से जा रही टाटा 407 गाड़ी नं0–जेएच01 बी जेड 3352 का दोनों चालक तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाकर आपस में टकरा गई, जिससे दोनों गाड़ी पलटी कर गयी, जिसमें जेएच 01 बी जेड 3352 के चालक जख्मी हो गया एवं दोनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया। तत्पश्चात् सूचना थाना को दिया, इसी बीच ग्रामीणों की मदद से जख्मी चालक को गाड़ी निकाला तब तक थाना के पुलिस आ गयी। जख्मी चालक महेश महतो को ईलाज हेतु जीप से प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्र नारायणपुर भेजा तथा वाहन सं0–जेएच 01 बी जेड 3352 पर नेस्ले का माल लोड गाड़ी के पास सुरक्षा हेतु उपस्थित रहे और खाली गाड़ी सं0–जेएच10एजी 3510 के चालक फरार हो गया। तब सूचक द्वारा फर्द बयान के आधार

पर प्रस्तुत वाद पंजीकृत हुआ।

3. सूचक महादेव राय के फर्द बयान के आधार पर नारायणपुर थाना काण्ड सं0–152/2016, दिनांक– 29.09.2016 को भा0द0स0 की धारा–279,338 एवं 427 के अन्तर्गत दर्ज किया गया।

4. अनुसंधानोपरांत, अनुसंधानकर्त्ता द्वारा उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा–279,338 एवं 427 के अन्तर्गत, विचारण हेतु आरोप पत्र सं0–84/2019, दिनांक–17.03.2019 को संबंधित न्यायालय में समर्पित किया गया।

5. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य–सामग्री के आधार पर संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक–27.03.2019 को भा0द0स0 की धारा– 279,338 एवं 427 के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लेकर, विचारण हेतु, अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन जारी करने का आदेश दिया गया।

6. अभियुक्तगण की उपस्थिति एवं पुलिस पेपर की आपूर्ति के पश्चात् फरार अभियुक्तगण के तरफ से नियुक्त एल.ए.डी.सी. श्री उत्तम कुमार को दिनांक–05.06.2026 को भा0द0स0 की धारा– 279,338 एवं 427 के तहत अभियोग का सारांश सुनाया व समझाया गया। तत्पश्चात् द0प्र0सं0–299 (1ए) के अन्तर्गत दिनांक–16.06.2026 से विधिवत, अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ हुआ।

7. अभियोजन पक्ष को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर देने के साथ–साथ न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए साक्षियों को सम्मन एवं कार्यालयी–पत्र, निर्गत करने के बाद, अभियोजन पक्ष का साक्ष्य, दिनांक–29.07.2026 को बंद कर दिया गया।

8. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत 02 (दो) साक्षी–अभियोजन साक्षी सं0–1 महादेव राय (सूचक) एवं अभियोजन साक्षी सं0–2 अमृत सिंह (अनुसंधानकर्त्ता) को साक्ष्य हेतु परीक्षित कराया गया।

9. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत मामले में कोई साक्ष्य–मौखिक अथवा दस्तावेजी प्रस्तुत नहीं किया है।

10. उपरोक्त फरार अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0स0, दिनांक–30.07.2026 को एल0ए0डी0सी के माध्य से अभिलिखित किया गया।

11. अब मेरे समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, फरार अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए उपरोक्त आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल हो पाया हैं अथवा नहीं ?

निष्कर्ष

12. परीक्षित अभियोजन साक्षी सं0–1 महादेव राय (सूचक) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा हैं कि– दिनांक–29.09.2016 को नारायणपुर थाना में चौकीदार के पद पर पदस्थापित था। उस दिन सुबह 5:00 जे सूचना संग्रह के लिए निकला हुआ था। करीब 6:30 बजे लोहरंगी गांव के पास स्थित मुख्य सड़क पर पहुंचा तो देखा कि जामताड़ा की ओर से आ रही एक 407 वाहन, जिसका नं0–जेएच10एजी–3501 था तथा

नारायणपुर की ओर से आ रही एक अन्य 407 वाहन, जिसका नं0–जेएच1 बी जेड–3352 था। तेजी एवं लापरवाही से आकर एक–दूसरे को टककर मार दिया, जिससे दोनों वाहन सड़क पर पलट गई और क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में वाहन सं0– जेएच1 बी जेड–3352 का चालक बुरी तरह जख्मी हो गया तथा गाड़ी नं0–जेएच10एजी–3501 का चालक घटनास्थल पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। उक्त घटना के संबंध में थाना में सूचना दिया और ग्रामीणों के सहयोग से जख्मी चालक को गाड़ी से बाहर निकाले। जख्मी चालक से नाम–पता पूछने पर उसने अपना नाम महेश महतो बताया। इसी दौरान थाना से पुलिस भी आ गई और जख्मी को सरकारी वाहन से ईलाज हेतु प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्र, नारायणपुर भेज दिया। दोनों वाहन के द्वारा तेजी एवं लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण घटना घटित हुई। इस संबंध में नारायणपुर थाना में फर्द बयान समर्पित किया गया। मेरे कहे अनुसार पु0अ0नि0 अमृत सिंह के द्वारा मेरा फर्द बयान दर्ज किया गया तथा पढ़–समझ कर, हस्ताक्षर किया। यह वही फर्द बयान है है, जिसे पु0अ0नि0 अमृत सिंह के द्वारा लिखा गया था तथा जिस पर सूचक का हस्ताक्षर है, पहचानत हूं। इसे प्रदर्श–P-1/PW1 अंकित किया जाता है। अभियुक्त महेश महतो को पहचानता हूं।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि–दिनांक–29.09.2016 को थाना में 12:00 बजे के लगभग गया था। उस दिन नुरगी, नयाडीह से होते हुए लोहरंगी गया था। तथाकथित घटना के दिन घटनास्थल से एक किलोमीटर की दूरी पर था। तकनिकी खराबी के कारण गाड़ी पलट गया था, यह नहीं कह सकता हूं।

13. अभियोजन साक्षी सं0–2 अमृत सिंह (अनुसंधानकर्त्ता) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा हैं कि– दिनांक–29.09.2016 को नारायणपुर थाना में पु0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित था। इस केस का अनुसंधान भार तत्कालीन थाना प्रभारी हरीश कुमार पाठक के द्वारा उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत सौंपा गया। काण्ड का पंजीकरण तत्कालीन थाना प्रभारी हरीश कुमार पाठक के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है पहचानता हूं। इसे प्रदर्श–P-1/1/PW2 अंकित किया जाता है। औपचारीक प्राथमिकी पर तत्कालीन थाना प्रभारी हरीश कुमार पाठक का हस्ताक्षर है, पहचानता हूं। इसे प्रदर्श–P-2/PW2 अंकित किया जाता है। अनुसंधान भार ग्रहन करने के पश्चात् प्राथमिकी का अवलोकन किया एवं दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी टाटा 407 नं0–जेएच10केएजे–3501 एवं नं0–जेएच01बी जेड–3352 को घटनास्थल से विधिवत् जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया। यह वही जप्ती सूची है, जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, पहचानता हूं। इसे प्रदर्श–P-3/PW2 अंकित किया जाता है। अनुसंधान के क्रम में वादी महादेव राय का पुनः बयान लिया, जिन्होंने प्राथमिकी और घटना की बातों का समर्थन किया। अनुसंधान के क्रम में साक्षी विनोद मरांडी, सुखेदव राय एवं बाबूधन दास का बयान लिया, जिन्होंने घटना का पूर्ण समर्थन किया। अनुसंधान के क्रम में नारायणपुर अस्पताल पहुंचा और घायल व्यक्तियों से पूछताछ किया, जिनमें से एक व्यक्ति को बेहतर ईलाज के लिए धनबाद भेजा गया। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी टाटा 407 नं0–जेएच10केएजे–3501 का जांच प्रतिवेदन मोटरयान निरीक्षक, जामताड़ा के कार्यालय में थाना प्रभारी, नारायणपुर के द्वारा प्राप्त किया। पुलिस निरीक्षक, जामताड़ा प्रभाग कार्यालय का ज्ञापांक–1577/2016, दिनांक–05.12.2016 को पर्यवेक्षण

टिप्पणी थाना अभिलेख के द्वारा प्राप्त हुआ, जिसमें पुलिस निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया। घटना को सत्य पाकर गाड़ी टाटा 407 नं0–जेएच01बी जेड–3352 के चालक महेश महतो एवं गाड़ी नं0–जेएच10केएजे–3501 के चालक हरेन्द्र कुमार वर्मा के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप सं0–84/2019, दिनांक–17.03.2019 को समर्पित किया।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा हैं कि– घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला। दोनों गाड़ियों के चालकों के लापरवाही से घटना घटी थी। काण्ड दैनिकी में यह जिक्र नहीं किया है कि–किस चालक की लापरवाही कम एवं किसकी ज्यादा लापरवाही थी। घटना सड़क के बीच में हुई थी। घटना के समय चालकों को सड़क पर मवेशी या अन्य किसी भी प्रकार का बाधा आने के संबंध में अनुसंधान नहीं किया था। घटनास्थल पर सड़क पर वाहनों के चक्का का निशान मिला था, लेकिन किस वाहन से चिन्ह बना था, नहीं बता सकता हूं। दुर्घटना में किस गाड़ी का कितना नुकसान हुआ, नहीं बता सकता हूं।

14. बहस के दौरान– बचाव पक्ष के एल.ए.डी.सी, जामताड़ा के द्वारा कहा गया है कि इस मामले में कुल 02 (दो) साक्षियों को साक्ष्य हेतु परीक्षित करवाया गया हैं। अभियोजन साक्षी सं0–1 महादेव राय (सूचक) ने कहा हैं कि– तथाकथित घटना के दिन घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर था। नहीं कह सकता हूं कि तकनिकी खराबी के कारण गाड़ी पलट गयी थी। अभियोजन साक्षी सं0–2 अमृत सिंह (अनुसंधानकर्त्ता) ने कहा है कि–घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला। दोनों गाड़ियों के चालकों के लापरवाही से घटना घटी थी। काण्ड दैनिकी में यह जिक्र नहीं किया है कि–किस चालक की लापरवाही कम एवं किसकी ज्यादा लापरवाही थी। घटना सड़क के बीच में हुई थी। घटना के समय चालकों को सड़क पर मवेशी या अन्य किसी भी प्रकार का बाधा आने के संबंध में अनुसंधान नहीं किया था। घ ाटनास्थल पर सड़क पर वाहनों के चक्का का निशान मिला था, लेकिन किस वाहन से चिन्ह बना था, नहीं बता सकता हूं। दुर्घटना में किस गाड़ी का कितना नुकसान हुआ, नहीं बता सकता हूं।

पुनः बचाव पक्ष की ओर से तर्क करते है कि– प्रस्तुत वाद में अभियोजन पक्ष द्वारा चिकित्सक, स्वतंत्र साक्षी एवं अन्य साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है, जिससे तथाकथित घटना स्थापित हो सकें। अन्त में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावें।

15. बहस के दौरान– अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि 02 (दो) साक्षियों को परीक्षित करवाया गया है, जिन्होंने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत समुचित आदेश पारित किया जावें।

16. अब अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा–279,338 एवं 427 भा0द0स0 के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। अभियोजन साक्षी सं0–1 महादेव राय (सूचक) ने कहा हैं कि– तथाकथित घटना के दिन घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर था। नहीं कह सकता हूं कि तकनिकी खराबी के कारण गाड़ी पलट गयी थी।

इस प्रकार, इनके साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि– इनका साक्ष्य संदेह को उत्पन्न करता है।

अभियोजन साक्षी सं0–2 अमृत सिंह (अनुसंधानकर्त्ता) ने कहा है कि–घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला। दोनों गाड़ियों के चालकों के लापरवाही से घटना घटी थी। काण्ड दैनिकी में यह जिक्र नहीं किया है कि–किस चालक की लापरवाही कम एवं किसकी ज्यादा लापरवाही थी। घटना सड़क के बीच में हुई थी। घटना के समय चालकों को सड़क पर मवेशी या अन्य किसी भी प्रकार का बाधा आने के संबंध में अनुसंधान नहीं किया था। घटनास्थल पर सड़क पर वाहनों के चक्का का निशान मिला था, लेकिन किस वाहन से चिन्ह बना था, नहीं बता सकता हूं। दुर्घटना में किस गाड़ी का कितना नुकसान हुआ, नहीं बता सकता हूं।

इस प्रकार, उपरोक्त परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि–सूचक एवं अनुसंधानकर्त्ता ने घटना का पूर्ण समर्थन किया, जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद में चिकित्सक, जख्मी एवं अन्य साक्षियों का साक्ष्य नहीं कराया गया है, जिससे उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य का मेल कर, तथाकथित घटना को स्थापित किया जा सकें। लेहाजा, उक्त साक्षियों का साक्ष्य संदेह को उत्पन्न करता है।

17. इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य साम्रगी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता हैं कि अभियोजन पक्ष, उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा–279,338 एवं 427 भा0द0स0 को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। इसलिए, अभियुक्तगण को उपरोक्त आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

18. अतः फरार अभियुक्तगणः– 1. हरेन्द्र कुमार वर्मा एवं 2. महेश महतो को भा0द0स0 की धारा– 279,338 एवं 427 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता हैं।

प्रस्तुत निर्णय, फरार अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित एल0ए0डी0सी0, जामताड़ा को खुले न्यायालय में सुनाया गया। कार्यालय लिपिक अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित एवं शुद्धित)

ह0/–

(मो0 नईम अंसारी)
अपर मुख्य न्या0 दण्डा0, जामताड़ा।
दिनांकः–31वीं जुलाई, 2026 ई0
आई0डी0 नं0– जे एच 00561

(लेखापित)

ह0/–

(मो0 नईम अंसारी)
अपर मुख्य न्या0 दण्डा0, जामताड़ा।
दिनांकः–31वीं जुलाई, 2026 ई0
आई0डी0 नं0– जे एच 00561